प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) रास्ता स्वीकृति बाबत

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री महेन्द्र सैन	प्रार्थीगण
2. श्री शैलेन्द्र नायक	अप्रार्थी सं. 1, 3 ता 6
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी सं. 7

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 18/12/2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) रास्ता स्वीकृति बाबत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि —यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण का प्रमाणित व पंजीकृत पता सिविल प्रक्रिया सहिंता के अनुसार वही है जो प्रार्थना पत्र के शीर्षक में निवेदित किया गया हैं। यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी स. 3 ता 6 के नाम सयुक्त खाता की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 20 एस.पी.डी. के खाता संख्या 14/37 के प.न.49/374 (37) के किला न. 1/2/0.228, 2, 9, 10/2/0.228, 11/2/0.228, 12, 16, 17 ता 19, 20/2/0.228, 21/2/0.228, 22 ता 25, प.न. 51/371 (16) के किला न. 16 ता 25, प. न. 51 / 373 (28) के किला न. 15/2/0.076, 16, 25 व प न. 51/374 (39) के किला न. 1/2/0.202, 2, 3/2/0.227, 4/1/0.102 इस प्रकार सभी पत्थरों की कुल 7.8190 हैक. कमाण्ड, अनकमाण्ड कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । प्रमाणित प्रतिलिपि सलग्न प्रार्थना पत्र है।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:34:29 IST
Reason: SelfAttested

यह कि अप्रार्थी स. 1 व 2 के नाम सयुक्त खाता की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 20 एसपीडी के खाता स. 32/31 के प. न. 51/372 (27) के किला न. 1, 10, 11, 20, 21/1/0.127, 22/1/0.152, 23/1/0.164, 24/1/0202, 25/1/0.202 की कुल 1.859 हैक. कमाण्ड कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपि सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थी को प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि में से कब्जा काश्त व घराघरू बंटवारा अनुसार प. न. 51/371 (16) के किला न. 19/0.045 (पश्चिमी तरफ), 20 ता 25 की 1.563 हैक. कृषि भूमि प्राप्त हुई तथा तहसील पीलीबंगा के चक 20 एसपीडी के खाता स. 32/31 के प.न. 51/372 (27) इंसस. 1, 10, 11, 20, 21/1/0.127, 22/1/0.152, 23/1/0.164, 24/1/0.202, 25/1/0.202 की कुल 1.859 हैक. कृषि भूमि अप्रार्थी स. 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अप्रार्थी स. 1 व 2 की कृषि भूमि के पश्चिम तरफ उत्तर से दक्षिण की लम्बाई में किला न. 1, 10, 11, 20, 21/1 की पश्चिम सींव पर 2–2 बिस्वा यानि 0.025–0.025 हैक. भूमि अप्रार्थी स. 1 व 2 द्वारा रास्ता हेतू छोड़ी गई है तथा उक्त घरेलू रास्ता से ही प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आवागमन कर रहा है और उक्त रास्ता मोका पर चालु है और उक्त रास्ता मुख्य सड़क में जाकर मिलता है। उक्त रास्ते से ही प्रार्थी अपनी कृषि भूमि आवागमन कर रहा है और इस रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है, लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही होने से प्रार्थी को काफी परेशानीयों का सामना करना पड रहा है और अप्रार्थीगण द्वारा उक्त मौका पर चालु रास्ता को बन्द करने की ऐलानिया तौर बार–बार धमकी दी जा रही है व बार–बार प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन में बाधा कारित कर रहे है। इस कारण प्रार्थी को चक 20 एसपीडी के खाता स.32/31 के प.न.51/372 (27) के किला न. 1, 10, 11, 20, 21/1 अप्रार्थी स. 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है मे से पश्चिम तरफ उत्तर से दक्षिण किला न. 1, 10, 11, 20, 21/1 की सींव पर 2–2 बिस्वा यानि 0.025–0.025 हैक. रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता (Absolute Necessity) है तथा प्रार्थी की भूमि के लिये अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग (Alternative way) भी नहीं है। इस कारण प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की उक्त कृषि भूमि में से पश्चिम तरफ उत्तर से दक्षिण किला न. 1, 10, 11, 20, 21/1 की सींव पर 2–2 बिस्वा यानि 0.025–0.025 हैक. रास्ता मौके पर चल रहे रास्ते को राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है।

यह कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 से गत सप्ताह पूर्व उक्त रास्ता को राजस्व अभिलेख में स्वीकृत करवा देने का आग्रह करने पर उनके द्वारा इन्कार कर दिये जाने पर प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वाद कारण हासिल हुआ है और अप्रार्थी स.7 को भू–धारक होने के कारण बतौर अप्रार्थी स. 7 संयोजित किया गया ताकि माननीय न्यायालय के आदेश की पालना करवाई जा सके।

यह कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष को स्वीकृत किये जाने की एवज में श्रीमान् न्यायालय के आदेशानुसार प्रार्थी रास्ता हेतु स्वीकृत कृषि भूमि के बदले नियमानुसार डी. एल. सी. की दुगुनी राशि अथवा भूमि के बदले भूमि या जो भी माननीय न्यायालय आदेशित करे प्रार्थी, अप्रार्थीगण स. 1 व 2 को देने हेतू सहमत है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:34:29 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है जो वाद कारण से अन्दर मियाद प्रस्तुत है और उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि के लिए स्वीकृत रास्ता को परस्पर जोड़ने के लिए अप्रार्थीगण की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 20 एसपीडी के खाता स.32/31 के प.न. 51/372 (27) के किला न. 1, 10, 11, 20, 21/1 अप्रार्थी स. 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है मे से पश्चिम तरफ उत्तर से दक्षिण किला न. 1, 10, 11,

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

20, 21/1 की सींव पर 2–2 बिस्वा यानि 0.025–0.025 हैक. गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें तथा इस रास्ता में आने वाली भूमि के बदले मुआवजा स्वरूप डीएलसी दर की दुगुनी राशि अथवा भूमि के बदले भूमि या जो भी माननीय न्यायालय अभिनिर्धारित करे प्रार्थी से अप्रार्थीगण को दिलवाया जाने के आदेश फरमाये जावें । श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल सुथार हाजिर वकालतनामा एवं जवाब प्रस्तुत है जवाब प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी स. 3 ता 6 की ओर से निम्न प्रकार से है –यह कि प्रार्थना पत्र के शीर्षक में वर्णित पंता से सम्बंधित होने के कारण स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कथन प्रार्थी व मिन अप्रार्थीगण के नाम सयुक्त खाता की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 20 एस.पी.डी. के खाता संख्या 14/37 के प.न.49/374 (37) के किला न. 1/2/0.228,2,9,10/2/0.228, 11/2/0.228, 12, 16, 17 ता 19, 20/2/0.228, 21/2/0.228, 22 ता 25, प. न. 51/371 (16) के किला न. 16 ता 25, प. न. 51/373 (28) के किला न. 15/2/0.076, 16, 25 व प.न. 51/374(39) के किला न. 1/2/0.202, 2, 3/2/0.227, 4/1/0.102 इस प्रकार सभी पत्थरों की कुल 7.8190 हैक. कमाण्ड, अनकमाण्ड कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के कथन स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कथन को साबित करने का भार प्रार्थी पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कथन प्रार्थी को प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि में से कब्जा काश्त व घराघरू बंटवारा अनुसार प.न.51/371 (16) के किला न. 19/0.045 (पश्चिमी तरफ), 20 ता 25 की 1.563 हैक. कृषि भूमि प्राप्त हुई तथा तहसील पीलीबंगा के चक 20 एसपीडी के खाता स.32/31 के प. न. 51/372 (27) के किला न. 1, 10, 11, 20, 21/1/0.127, 22/1/0.152, 23/1/0.164, 24/1/0.202, 25/1/0.202 की कुल 1.859 हैक. कृषि भूमि अप्रार्थी स. 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कथन स्वीकार है। अप्रार्थी स. 1 व 2 की कृषि भूमि के पश्चिम तरफ उत्तर से दक्षिण की लम्बाई में किला न. 1, 10, 11, 20, 21/1 की पश्चिम सींव पर 2–2 बिस्वा यानि 0.025–0.025 हैक. भूमि अप्रार्थी स. 1 व 2 द्वारा रास्ता हेतू छोड़ी गई है तथा उक्त घरेलू रास्ता से ही प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आवागमन कर रहा है और उक्त रास्ता मोका पर चालु है और उक्त रास्ता मुख्य सड़क में जाकर मिलता है स्वीकार है तथा प्रार्थी व मिन अप्रार्थीगण द्वारा दफा में वर्णित रास्ता का अर्सा पूर्व से उपयोग व उपभोग किया जा रहा है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 जिसे प्रार्थना पत्र में दफा 8 अंकित किया है में वर्णित कथन स्वीकार है। शेष कथन कानूनी है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 जिसे प्रार्थना पत्र में दफा 9 अंकित किया है में वर्णित कथन कानुनी यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 जिसे प्रार्थना पत्र में दफा 10 अंकित किया है में वर्णित कथन कानुन अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि यदि प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुसार [illegible] भूमि के लिए स्वीकृत रास्ता को परस्पर जोड़ने के लिए मिन अप्रार्थीगण की [illegible] तहसील पीलीबंगा के चक 20 एसपीडी के खाता स. 32/31 के [illegible] 1, 10, 11, 20, 21/1 अप्रार्थी स. 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में [illegible] पश्चिम तरफ उत्तर से दक्षिण किला न. 1, 10, 11, 20, 21/1 की सींव पर 2–2 बिस्वा यानि 0.025–0.025 हैक. गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो मिन अप्रार्थीगण को कोई उज्जर एतराज नही है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:34:29 IST
Reason: SelfAttested

जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 की ओर से निम्न प्रकार प्रस्तुत है–यह कि प्रार्थना पत्र कि दफा 1 में वर्णित कथन सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो के अनुसार सही अंकित नही

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

किया गया है। यह कि प्रार्थना पत्र कि दफा 2 में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र कि दफा 3 में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र कि दफा 4 में वर्णित कथन असत्य होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थी ने अपनी कब्जा काश्त जिस प्रकार से दर्शायी हैं गलत व विधि विरुद्ध हैं क्योंकि जो कब्जा काश्त प्रार्थी ने सम्पत्तिदारान में प्राप्त होना बताया हैं उस पर प्रार्थी की अकेले की कब्जा काश्त कतई नहीं रही है, उक्त भूमि में अप्रार्थी सं. 3 ता 6 का बहि. व. कब्जा काश्त हैं । प्रार्थी द्वारा किये गये कथन कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 के द्वारा चं.नं. 51/372 (27) के किला नं. 1,10,11,20,21/1 में पश्चिम सीव पर 2–2 बिस्वा यानि 0.025–0.025 हैक. भूमि रास्ता हेतु छोड़ी गई है तथा उक्त रास्ता से ही प्रार्थी अपनी भूमि में आवागमन कर रहा हैं तथा उक्त रास्ता मौका पर चालू होना असत्य होने से अस्वीकार है। प्रश्नगत रास्ता कभी भी चालू नहीं रहा वर्तमान उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 की सरसों, ग्वार की फसल की काश्त की हुई है जो वर्तमान में पकाव की अवस्था पर है। प्रार्थी की यह कथन की कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध न हो असत्य होने अस्वीकार है । अप्रार्थी सं. 1 व 2 के द्वारा चं.नं. 51/372 (27) के किला नं. 1,10,11,20, 21/1 में कभी नहीं छोड़ा गया है, ना ही प्रार्थी द्वारा कभी भी अप्रार्थी सं. 1 व 2 की भूमि से अपनी भूमि में आवागमन किया गया हैं ना ही उक्त किला में कभी रास्ता चला है व ना ही वर्तमान में चल रहा हैं, क्योंकी उक्त किला नं. 1 व 10 में करीबन 20–25 फुट ऊंचाई में टीला टिब्बा है जिसपर पैदल भी बड़ी कठिनाई से चढ़ा जाता है तो वहां पर रास्ता चालू होना, प्रार्थी का प्रश्नगत रास्ता के उपयोग व उपभोग करने कथन स्वत: ही गलत सिद्ध होता है। प्रार्थी का यह कथन कि उक्त रास्ता मुख्य सड़क में जाकर मिलता है, उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही हैं, प्रार्थी को उक्त रास्ता कि आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) है अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता (Alternative way) भी नही है, के कथन जो कि मात्र प्रार्थना पत्र को रंगत देने के लिये प्रार्थी द्वारा आधे अधूरे प्रस्तुत किये गये है। प्रार्थी द्वारा मात्र अप्रार्थीगण की भूमि को प्रस्तुत किया गया है। जबकी प्रार्थी मौका पर अपनी भूमि के उत्तरी दिशा में चं. नं. 51/370 (15) के किला नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 0.25–0.025 हैक. स्वीकृत शुदा रास्ता के किला नं. 21 से चं.नं. 51/371 (16) के किला नं. 1, 10, 11 के पश्चिम सीव से उत्तर से दक्षिण चलकर अपने किला नं. 20 में प्रवेश कर रहा है तथा उक्त रास्ता प्रार्थी के लिए सबसे कम दुरी का व मौका पर चालू रास्ता है जिससे वह आवागमन कर रहा हैं, जो स्वीकृत शुदा रास्ता से मात्र 3 बीघा की दुरी पर स्थित हैं । उक्त रास्ता प्रार्थी के लिये सबसे अच्छा, कम दुरी का व मौका पर चालू वैकल्पिक रास्ता (Alternative way) है। जिसे प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत ना कर माननीय को गुमराह करने का नाकाम प्रयास किया गया है । जबकी प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता कि दुरी 5 बीघा है। जो कि 251 (क) के नियमानुसार उचित नही हैं क्योंकी जब कोई वैकल्पिक रास्ता कम दुरी का हो तो रास्ता वही पर दिया जावेगा न की प्रार्थी अपनी मर्जी से अपनी सहुलियत के अनुसार रास्ता दिया जावेगा । ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते का प्रयोग आवागमन हेतू नही हो पायेगा उक्त स्थिति में भी स्पष्ट है कि वर्तमान में अप्रार्थी सं. 1 की भूमि में कोई रास्ता चालू नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:34:29 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र कि दफा 5 जिसे प्रार्थी द्वारा [illegible] किया हैं में वर्णित कथन मनघड़त मिथ्या होने से अस्वीकार हैं। [illegible] 1 से किसी रास्ता बावत् कोई मांग नही की गई जबकी [illegible] मात्र तंग परेशान करने के लिए माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुए अप्रार्थी [illegible] ता 6 के साथ दुर्भी संधि कर प्रस्तुत किया गया हैं जो काबिल खारिज के हैं ।

यह कि प्रार्थना पत्र कि दफा 6 जिसे प्रार्थी द्वारा दफा 9 दर्ज किया हैं में वर्णित कथन असत्य होने से अस्वीकार हैं। क्योंकी धारा 251 (क) रा. का. अधि. हुए संशोधन के अनुसार डी. एल.

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

सी. की दुगनी राशी क्षतिपूर्ति के रूप में नही दिलाई जा सकती हैं। यह कि प्रार्थना पत्र कि दफा 7 जिसे प्रार्थी द्वारा दफा 10 दर्ज किया है कानुनी हैं।

विधिक आपतिया यह कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उक्त प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने का हेतुक कब प्राप्त हुआ इसके सम्बन्ध में कोई कथन नही किये गए है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बिना हेतुक कारण के इसी स्तर पर खारिज होने योग्य है। यह कि प्रार्थी द्वारा पं.न. 51/371 (27) की कृषि भूमि हेतु रास्ता की मांग की गई है। प्रार्थी द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमि का विवरण प्रार्थना पत्र में अंकित नही किया है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि के अतिरिक्त प्रार्थी की इसी चक के इसी प.नं. 491374 (37), 51/371 (16), 51/373 (28), 51/374 (39), की कुल 7.8190 हैक. में प्रार्थी के नाम 1/5 हिस्सा भुमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड मे अभिलेखित है। उक्त सम्पूर्ण भूमि की एकलाई काश्त करते हैं। प्रार्थी की भूमि के मौका पर उत्तरी दिशा में पं.नं. 51/370 (15) के किला नं. 21 तो 25 प्रत्येक में 0.025–0.025 है. रास्ता स्वीकृतशुदा हैं, जो चक 19 एसपीडी से मुख्य सड़क को जोड़ते हुये चालू है जिसके किला नं. 21/1 से पं.न. 51/371(16) के किला न. 1, 10, 11 के पश्चिम श्री से उत्तर से दक्षिण लम्बा चलकर प्रार्थी अपने किला ने 20 में प्रवेश कर रहा है तथा उक्त रास्ता प्रार्थी के लिए सबसे कम दूरी का व मौका पर चालु रास्ता है जिससे वह आवागमन कर रहा हैं, जो स्वीकृत शुद्धा रास्ता से मात्र 3 बीघा की दूरी पर स्थित है। उक्त रास्ता प्रार्थी के लिये सबसे अच्छा कम दुरी का व मौका पर चालू वैकल्पिक रास्ता (Alteernative way) है, जो प्रार्थी के लिये (Permanent way) है।

यह कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 3 ता 6 के साथ खाता संयुक्त होते हुए यह प्रार्थना पत्र केवल मात्र अपने हिस्सा की भूमि के लिये प्रस्तुत किया गया है, जो कि बिना खाता विभाजन करवाये प्रस्तुत किया गया हैं इसलिये प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र विधि विरुद्ध हैं जो इसी स्तर पर खारिज होने योग्य हैं। अप्रार्थी सं. 1 सीमान्त कृषक है। प्रश्नगत रास्ता यदि स्वीकृत होता है तो अप्रार्थी सं. 1 को भारी असुविधा होगी अप्रार्थी जैसे सीमान्त कृषक के लिए यह स्थिति खेती के लिहाज से अत्यन्त दूरहम होगी। जिसके चलते प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। यह कि पं.नं. 51/370 (15) के किला नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 0.25–0.025 है., रास्ता स्वीकृतशुदा हैं, जो चक 19 एसपीडी से बड़ोपल मुख्य सड़क को जोड़ते हुये चालू है जिसके के किला नं. 21/1 से पं.न. 51/371 (16) के किला न. 1, 10, 11 के पश्चिम सीवं से उत्तर से दक्षिण लम्बा चलकर प्रार्थी अपने किला न. 20 में प्रवेश कर रहा है, रास्ता को नही दर्शाया नही गया है जो कि एक उचित वैकल्पिक रास्ता (Alteernative way) है, जिसकी मौका रिपोर्ट मगवाया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है।

यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के संशोधित प्रावधानों के अनुसार भूमि के बदले भूमि का प्रावधान है। ऐसी भूमि देने के लिए प्रार्थीया ने अपने अभिवचन नही किये है जिसके चलते प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र मिन अप्रार्थी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जायें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:34:29 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार पीलीबंगा 698 दिनांक 28.10.25 से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता पूर्व में चालू था रास्ते के निशानात है पर अब मौके पर फसल खडी है। प.न. 51/372 के किला न. 1 पश्चिमी सीमा पर मिट्टी का ढेर है उसके पास से प्रार्थी अपने खेत में आता जाता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते में आने वाली भूमि से सम्बन्धित खाते के समस्त काश्तकारान को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा उस भूमि में कोई स्वीकृत शुद्धा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते से प्रार्थी की भूमि के उत्तर दिशा में 3 बीघा दूरी पर प.न. 51/370 के किला न

सहायक कलक्टर एवं
... अधिकारी पीलीबंगा

21 ता 25 में गैर मु. रास्ता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी आस पडौस के खेतों से होकर अपने खेत में आवागमन करता है। बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सूनी गई बहस में अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णिताअनुसार रास्ता स्वीकृत किया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत रास्ता यदि स्वीकृत होता है तो अप्रार्थी सं. 1 को भारी असुविधा होगी प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। चक 19 एसपीडी से बड़ोपल मुख्य सड़क को जोड़ते हुये चालू है जिसके के किला नं. 21/1 से पं.न. 51/371 (16) के किला न. 1, 10, 11 के पश्चिम सीवं से उत्तर से दक्षिण लम्बा चलकर प्रार्थी अपने किला न. 20 में प्रवेश कर रहा है, रास्ता को नही दर्शाया नही गया है जो कि एक उचित वैकल्पिक रास्ता है प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

आदेश

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता के आलावा प्रार्थी को वैक्लिपिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस लिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजस्व काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के तहत स्वीकार किया जाकर चक 20 एसपीडी के खाता स. 32/31 के प.न.51/372 (27) के किला न. 1, 10, 11, 20, 21/1 की सींव पर प्रत्येक बीघा में से 0.025–0.025 है. रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि स्वीकृत रास्ता के प्रतिकर के रूप में प्रार्थी से डीएलसी की दुगनी राशि खजाना राज में जमा करवाया जावे।

तहसीलदार पीलीबंगा आदेशों की पालना में रास्ता राजस्व रिकार्ड में अन्य वाद/स्थगन नहीं है तो अमलदरामद करें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 18/12/25 सुनाया गया।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:34:29 IST
Reason: SelfAttested